न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 413/2023

अनवान : –

1. अमरसिंह पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी फेफाना निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. देवीलाल पुत्र गंगाजल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

3. चन्द्रपति पत्नी केशराराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. धर्मपाल पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. भूराराम पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।।

– **तरतीबी प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 ,राजस्थान

काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– 1. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**

2. पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 17/10/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 3 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 58/58 के कुल खसरे 48 का कुल क्षेत्रफल 9.1080 है० भूमि वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा खाता संख्सा 50/50 के कुल खसरे 8 का कुल क्षेत्रफल 1.2050 है० भूमि वादी संख्या 2 के नाम दर्ज है तथा खाता संख्या 5/4 के कुल खसरे 10 का कुल क्षेत्रफल 1.5180 है० भूमि वादी संख्या 1 व उसके मृतक भाई केसराराम के नाम ब० हि० दर्ज राजस्व रिकार्ड है। खातेदार केसराराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसकी वारिस उसकी पत्नी चन्द्रपति है जिसके बाद में तरतीवी प्रतिवादी संख्या 3 कायम किया गया है।

रोही मौजा 3 केएनएन के खाता संख्या 58/58 के ५० नं० 349/379 (70) के किला नं. 5/1 की 0.026 है0, 5/2 की 0.0250 है० व 6/1 की 0.0250 है० व 15/1 की 0. 0260 है०, 16/1 की 0.0260 है0, 25/1 की 0.0250 है० गै० मु० खाला दर्ज है तथा खाता संख्या 50/50 के प० नं० 349/379 (70) के किला नं. 1/1 की 0.0250 है०, 2/1 की 0.0250 है० गै० मु० खाला दर्ज है तथा खाता संख्या 5/4 के प० नं० 16/1 की 0.0250 80, 25/1 की 0.0250 है० प० नं० 349/379 (70) के किला नं. 3/1 की 0.0250 है०, 4/1 की 0.0250 है० ० मु० खाला दर्ज है। रिवाईज्ड स्वीकृत चक प्लान में उक्त खाला की बजाय सीएडी विभाग द्वारा [illegible]ाल स्वीकृत कर निर्माण करवा दिया गया है अब मौका पर 3 केएनएन के खाता संख्या 58/58 के प० नं० 349/379 (70) के किला नं. 5/1 की 0.026 है०, 5/2 की 0.0250 है० व 6/1 की 0.0250 है० व 15/1 की 0.0260 है०, 16/1 की 0. 0260 है0, 25/1 की 0.0250 है० गै० मु० खाला दर्ज है तथा खाता संख्या 50/50 के प० नं0

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 15:37:35 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

349/379 (70) के किला नं. 1/1 की 0.0250 20, 2/1 की 0.0250 है० गै० मु० खाला दर्ज है तथा खाता संख्या 5/4 के प० नं० 16/1 की 0.0250 है०. 25/1 की 0.0250 है0, 3/1 की 0.0250 80, 4/1 की 0.0250 है० में कोई खाला नहीं है परन्तु राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त समस्त किलो की भूमि में गै० मु० खाला दर्ज है जिससे वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण 3 ता 5 के खातेदारी हकूक का हनन् होता है। इसलिए वादीगण गै० मु० खाला की भूमि को मुमकिन करवाकर नहरी दर्ज करवाकर अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने की अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा वाद के समर्थना में नकल जमाबंदी रोही मौजा 3 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 के खाता स0 5/4, 58/58 व खाता स0 50/50 पेश की जो की शामिल मिसल की गई। तहसीलदार नोहर द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रेषित की गई कि उक्त किला न0 में कोई खाला न तो निर्मित है एव सिंचाई विभाग के द्वारा अन्य जगह पर खाला स्वीकृत किया जा चुका है एवं अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड भादरा द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई कि रोही मौजा चक 3 केएनएन के प0न0 349/379 के किला न0 1 ता 6, 15, 16 व 25 में खाला नही है।

साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रोही मौजा 3 केएनएन के खाता संख्या 58/58 के प0 नं० 349/379 (70) के किला नं. 5/1 की 0.026 है0, 5/2 की 0.0250 है० व 6/1 की 0.0250 है० व 15/1 की 0. 0260 है०, 16/1 की 0.0260 है0, 25/1 की 0.0250 है० गै० मु० खाला दर्ज है तथा खाता संख्या 50/50 के प० नं० 349/379 (70) के किला नं. 1/1 की 0.0250 है०, 2/1 की 0.0250 है० गै० मु० खाला दर्ज है तथा खाता संख्या 5/4 के प० नं० 16/1 की 0.0250 80, 25/1 की 0.0250 है० प० नं० 349/379 (70) के किला नं. 3/1 की 0.0250 है०, 4/1 की 0.0250 है० ० मु० खाला दर्ज है। रिवाईज्ड स्वीकृत चक प्लान में उक्त खाला की बजाय सीएडी विभाग द्वारा अन्यत्र खाल स्वीकृत कर निर्माण करवा दिया गया है अब मौका पर 3 केएनएन के खाता संख्या 58/58 के प० नं0 349/379 (70) के किला नं. 5/1 की 0.026 है०, 5/2 की 0.0250 है० व 6/1 की 0.0250 है० व 15/1 की 0.0260 है०, 16/1 की 0.0260 है0, 25/1 की 0.0250 है० गै० मु० खाला दर्ज है तथा खाता संख्या 50/50 के प० नं0 349/379 (70) के किला नं. 1/1 की 0.0250 20, 2/1 की 0.0250 है० गै० मु० खाला दर्ज है तथा खाता संख्या 5/4 के प० नं० 16/1 की 0.0250 है०. 25/1 की 0.0250 है0, 3/1 की 0.0250 80, 4/1 की 0.0250 है० में कोई खाला नहीं है परन्तु राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त समस्त किलो की भूमि में गै० मु० खाला दर्ज है जिससे वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण 3 ता 5 के खातेदारी हकूक का हनन् होता है। इसलिए वादीगण गै० मु० खाला की भूमि को मुमकिन करवाकर नहरी दर्ज करवाकर अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाना चाहते हैं

पेरोकार राज ने निवेदन कि[illegible] राज्य हकों को ध्यान मे रखते हुए वाद का निस्तारण किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 15:57:35 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों यथा नवीनतम जमाबंदी का अवलोकन किया वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 3 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 58/58 के कुल खसरे 48 का कुल

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

क्षेत्रफल 9.1080 है० भूमि वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा खाता संख्सा 50/50 के कुल खसरे 8 का कुल क्षेत्रफल 1.2050 है० भूमि वादी संख्या 2 के नाम दर्ज है तथा खाता संख्या 5/4 के कुल खसरे 10 का कुल क्षेत्रफल 1.5180 है० भूमि वादी संख्या 1 व केसराराम के नाम ब० हि० दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि मौके पर अब खाला नही है क्योंकि सिचिंत क्षेत्र विकास विभाग द्वारा संशोधित कर स्वीकृत चक स्कीम में अन्य जगह पर नया खाला स्वीकृत किया गया है इसलिए गै0मु0 खाला भूमि को मुमकिन दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रेषित की गई की रोही मौजा चक 3 केएनएन के प0न0 349/379 के किला न0 1 ता 6, 15, 16 व 25 में खाला नही है। एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के मुताबिक उक्त किला न0 में कोई खाला न तो निर्मित है एव न ही स्वीकृत है नई चक स्कीम के अनुसार अन्य जगह पर खाला स्वीकृत किया जा चुका है इसलिए गै0मु0 खाला की भूमि को मुमकिन दर्ज किया जाना उचित है।

गै0मु0 खाला अथवा रास्ता के बदलाव/निरस्तीकरण हेतु राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्ते 1955 की शर्त संख्या 8(1) व 8(2) में वर्णित प्रावधानों व प्रदत्त शक्तियों तथा न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2011(1) स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम राजपाल पेज न0 167, आरआरडी 1987 पेज न0 279 एवं आरआरडी 1998 पेज न0 699 के अनुसार जब कभी भी किसी कारणवंश पूर्व में निर्मित रास्ता एवं खाले को निरस्त किया जाता है तो वह रास्ता एवं खाले की भूमि उसी काश्तकार के खाते में प्रत्याहित हो जावेंगी जिसके खाते में यह कम की गई थी।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तोवजों के अवलोकन से पाया गया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण व केशराराम के नाम दर्ज है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रोही मौजा 3 केएनएन के खाता संख्या 58/58 के प0 नं० 349/379 (70) के किला नं. 5/1 की 0.026 है0, 5/2 की 0.0250 है० व 6/1 की 0.0250 है० व 15/1 की 0. 0260 है०, 16/1 की 0.0260 है0, 25/1 की 0.0250 है० गै० मु० खाला दर्ज है तथा खाता संख्या 50/50 के प० नं० 349/379 (70) के किला नं. 1/1 की 0.0250 है०, 2/1 की 0.0250 है० गै० मु० खाला दर्ज है तथा खाता संख्या 5/4 के प० नं० 16/1 की 0.0250 80, 25/1 की 0.0250 है० प० नं० 349/379 (70) के किला नं. 3/1 की 0. 0250 है०, 4/1 की 0.0250 है० ० मु० खाला दर्ज है। लेकिन वर्तमान में जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार उक्त किलों में खाला स्वीकृत नही किया गया है तथा तहसीलदार नोहर के रिपोर्ट के अनुसार उक्त किलों में खाले का निर्माण नही है अब सिंचाई विभाग द्वारा खाला अन्य जगह पर स्वीकृत किया जा चुका है इसलिए वादी की भूमि में से गै0मु0 खाला/रास्ता के लिए कम की गई भूमि को पुनः वादी अपने नाम बतौर खातेदार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

तहसीलदार नोहर एवं अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड भादरा द्वारा भी रिपोर्ट प्रेषित कि गई की उक्त किलों में वर्तमान में कोई खाला नही है एवं नई चक स्कीम के अन्तर्गत भी उक्त किलों में खाता स्वीकृत भी नही है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों, पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं जल संसाधन विभाग [illegible] तहसीलदार (राजस्व) नोहर की रिपोर्ट के आधार पर वाद वादीगण साबित होने के कारण स्वी[illegible] यो[illegible] है।

अतः अधिशाषी अभियंता जल [illegible] एवं तहसीदार (राजस्व) नोहर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 3 केएनएन के खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 15:57:35 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संख्या 58/58 के प० नं० 349/379 (70) के किला नं. 5/1 की 0.026 है0, 5/2 की 0.0250 है0 व 6/1 की 0. 0250 है० व 15/1 की 0.0260 है0, 16/1 की 0.0260 है0, 25/1 की 0.0250 है० गै० मु० खाला दर्ज है तथा खाता संख्या 50/50 के प० नं0 349/379 (70) के किला नं. 1/1 की 0. 0250 है0, 2/1 की 0.0250 है० गै० मु० खाला दर्ज है तथा खाता संख्या 5/4 के प० नं0 16/1 की 0.0250 है0, 25/1 की 0.0250 है० प० नं० 349/379 (70) के किला नं. 3/1 की 0.0250 है0, 4/1 की 0.0250 है० गै० मु० खाला की भूमि को नहरी मुमकीन भूमि घोषित कर खाता संख्या 58/58 के प० नं0 349/379 (70) के किला नं. 5/1 की 0.026 है0 व 5/2 की 0.0250 है० भूमि को किला नं. 5/3 में शामिल कर 6/1 की 0.0250 है० की भूमि को 6/2 में शामिल कर व 15/1 की 0.0260 है० की भूमि को 15/2 में शामिल कर, 16/1 की 0.0260 है० भूमि को 16/2 में शामिल कर व 25/1 की 0.0250 है० भूमि को 25/2 में शामिल कर तथा खाता संख्या 50/50 के प० नं0 349/379 (70) के किला नं. 1/1 की 0.0250 है० भूमि को किला नं. 1/2 में शामिल कर 2/1 की 0.0250 है० भूमि को 2/2 में शामिल कर तथा खाता संख्या 5/4 के प० नं0 16/1 की 0.0250 है० भूमि को 16/2 में शामिल कर, 25/1 की 0.0250 है० भूमि को किला नं. 25/2 में शामिल कर प० नं0 349/379 (70) के किला नं. 3/1 की 0.0250 है० भूमि को किला नं. 3/2 में शामिल कर 4/1 की 0.0250 है० भूमि को 4/2 में शामिल कर नहरी मुमकिन भूमि घोषित किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हों। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/10/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 15:57:35 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 413/2023

अनवान : –

1. अमरसिंह पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी फेफाना निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. देवीलाल पुत्र गंगाजल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

3. चन्द्रपति पत्नी केशराराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. धर्मपाल पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. भूराराम पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।।

– **तरतीबी प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 413 सन 2023 निर्णय दिनांक 17/10/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर एवं तहसीलदार नोहर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 3 केएनएन के खाता संख्या 58/58 के प० नं० 349/379 (70) के किला नं. 5/1 की 0.026 है0, 5/2 की 0.0250 है0 व 6/1 की 0. 0250 है० व 15/1 की 0.0260 है0, 16/1 की 0.0260 है0, 25/1 की 0.0250 है० गै० मु० खाला दर्ज है तथा खाता संख्या 50/50 के प० नं0 349/379 (70) के किला नं. 1/1 की 0. 0250 है0, 2/1 की 0.0250 है० गै० मु० खाला दर्ज है तथा खाता संख्या 5/4 के प० नं0 16/1 की 0.0250 है0, 25/1 की 0.0250 है० प० नं० 349/379 (70) के किला नं. 3/1 की 0.0250 है0, 4/1 की 0.0250 है० गै० मु० खाला की भूमि को नहरी मुमकीन भूमि घोषित कर खाता संख्या 58/58 के प० नं0 349/379 (70) के किला नं. 5/1 की 0.026 है0 व 5/2 की 0.0250 है० भूमि को किला नं. 5/3 में शामिल कर 6/1 की 0.0250 है० की भूमि को 6/2 में शामिल कर व 15/1 की 0.0260 है० की भूमि को 15/2 में शामिल कर, 16/1 की 0.0260 है० भूमि को 16/2 में शामिल कर व 25/1 की 0.0250 है० भूमि को 25/2 में शामिल कर तथा खाता संख्या 50/50 के प० नं0 349/379 (70) के किला नं. 1/1 की 0.0250 है० भूमि को किला नं. 1/2 में शामिल कर 2/1 की 0.0250 है० भूमि को 2/2 में शामिल कर तथा खाता संख्या 5/4 के प० नं0 16/1 की 0.0250 है० भूमि को 16/2 में शामिल कर, 25/1 की 0.0250 है० भूमि को किला नं. 25/2 में शामिल कर प० नं0 349/379 (70) के किला नं. 3/1 की 0.0250 है० भूमि को किला नं. 3/2 में शामिल कर 4/1 की 0.0250 है० भूमि को 4/2 में शामिल कर नहरी मुमकिन भूमि घोषित किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हों। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ..17/10/25...... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 15:57:35 IST
Reason: SelfAttested

Rahul.
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर